हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 नवम्बर, 2005

संख्या का० आ० 91/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2005.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 6/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2005, दिनांक 8 नवम्बर, 2005, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2005, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), में, नियम 16 में, उप-नियम (3) में,—

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु वैट व्यवहारी जिसका कर दायित्व अन्तिम पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित अवधि (अवधियों) के सम्बन्ध में उस द्वारा दायर की गई विवरणियों के अनुसार केन्द्रीय अधिनियम के अधीन शामिल है, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होता, द्वारा विवरणी भरी जानी अपेक्षित नहीं होगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 54 में, उप-नियम (1) में "कोई बिक्री बीजक सभी अन्य परिस्थितियों में माल के विक्रय के लिए जारी किया जाएगा।", शब्दों के बाद "मूल्यवान प्रतिफल में तीन सौ रुपए से अनधिक नकद में किए गए विक्रय के एकल संव्यवहार के सम्बन्ध में विक्रय बीजक या खुदरा विक्रय बीजक जारी करना अनिवार्य नहीं होगा सिवाय जब बीजक की ग्राहक द्वारा मांग की जाती है" शब्द रखे जाएंगे।

एल० एस० एम० सालिस,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।